छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–7/खाद्य/2011/29/3946 रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन विषयक ।

विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य एवं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के आधार पर राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावेगा, जिस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. **समर्थन मूल्य** –

   भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के लिए निम्नानुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है –

धान कॉमन	रू. 1080 /– प्रति क्विंटल
धान ग्रेड–"ए"	रू. 1110 /– प्रति क्विंटल
मक्का	रू. 980 /– प्रति क्विंटल

2. **उपार्जन की समयावधि** –

   खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग के तहत खरीदी दिनांक 15 नवंबर, 2011 से 15 फरवरी, 2012 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 15 नवंबर, 2011 से 30 मई, 2012 तक की जावेगी ।

3. **<u>उपार्जन एजेंसी</u>** –

3.1. राज्य के समस्त जिलों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।

3.2. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

3.3. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।

3.4. राज्य की मंडियों में राज्य शासन द्वारा अधिकृत उपार्जन एजेंसियों द्वारा धान एवं मक्का की खरीदी नहीं की जावेगी, किन्तु नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं क्रय शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

4. **<u>उपार्जन की अनुमानित मात्रा</u>** –

खरीफ वर्ष 2011–12 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 55 लाख टन धान एवं 10,000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है । यह स्पष्ट रहे कि यह अनुमान है, लक्ष्य नहीं है ।

5. **साख–सीमा की व्यवस्था –**

समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु आवश्यक साख–सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जावेगी । समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जावेगी ।

6. **बारदानों की व्यवस्था –**

6.1. अनुमानित 55 लाख मेट्रिक टन धान की भरती हेतु आवश्यक बारदानों का डी.जी.एस.एण्ड.डी. से क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराया जावेगा। समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।

6.2. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्रय बारदानों की प्राप्ति निर्धारित रेक पाइंट एवं सड़क मार्ग पर की जाकर उसे धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंचाने की समस्त व्यवस्था की जावेगी ।

6.3. संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान जिलों में बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति के संबंध में कलेक्टर्स सतत निगरानी रखेंगे, ताकि धान उपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

6.4. धान उपार्जन हेतु प्रदाय किए गए बारदानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए एवं निम्न गुणवत्ता के बारदाने किसी भी गठान में पाए जाने पर तत्काल विभाग एवं प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अवगत कराया जाए, ताकि प्रदाय एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । निम्न गुणवत्ता के बारदानों का उपयोग नहीं किया जाए । इन्हें अलग से रख लिया जाए जिससे निम्न गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय एजेंसी को वापस किए जा सकें ।

6.5. आपके जिले में यदि पुराने बारदाने उपलब्ध हों तो उन्हें अलग से भण्डारित किया जाए एवं नए बारदानों को अलग गोदामों में भंडारित किया जाए, ताकि दोनों प्रकार के बारदानों की संख्या एवं लेखों का पृथक रूप से संधारण हो सके ।

6.6. **समितियों में धान उपार्जन हेतु प्रयुक्त बारदानों पर समिति का नाम, पंजीयन नंबर एवं धान की किस्म की छपाई की जावे । यह कार्य समितियों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रशासनिक व्यय में से स्थानीय स्तर पर की जावे । इससे समितियों द्वारा उपार्जित धान की मात्रा, किस्म एवं गुणवत्ता की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी ।**

7. <u>उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था</u> –

7.1. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2011–12 हेतु धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके । सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के घोषित समर्थन मूल्य के बैनर के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित स्पेसिफिकेशन भी प्रदर्शित किया जावे । भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2011–12 के लिए एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का हेतु निर्धारित स्पेसिफिकेशन की छायाप्रति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है ।

7.2. धान एवं मक्का की खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में धान की भरती तथा तुलाई एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदानों, कांटे–बांट इत्यादि की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जावे ताकि धान उपार्जन के कार्य में सुगमता बनी रहे । **विशेषकर खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में प्रारंभ किये जाने वाले नये उपार्जन केन्द्रों में उपरोक्त व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जावे तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल स्थल पर**

भेजकर इसकी पुष्टि करा ली जावे ।

7.3. धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट तथा जिलों के धरमकांटो का सत्यापन नियंत्रक नाप तौल द्वारा सुनिश्चित किया जाए । साथ ही धान खरीदी के दौरान आकस्मिक रूप से उपार्जन केन्द्रों के कांटे–बांट का सत्यापन कराया जाए ।

7.4. धान एवं मक्का उपार्जन हेतु केन्द्र का चिन्हांकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि नीची अथवा गड्ढे वाली न हो अपितु आस–पास के स्थल से पर्याप्त रूप से ऊंचा स्थान हो जिससे आकस्मिक वर्षा की स्थिति में संग्रहित धान के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो । **उपार्जन केन्द्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, डनेज सामग्री एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए ।**

7.5. धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित स्पेशीफिकेशन अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार–प्रसार किया जावे । विगत वर्ष राज्य के समस्त गैर अनुसूचित विकासखण्ड क्षेत्रों के खरीदी केन्द्रों में समितियों द्वारा धान में आर्द्रता की माप हेतु आर्द्रतामापी यंत्र क्रय कर रखे गये थे । **इस वर्ष राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत वर्ष 1000 टन या आधिक धान का उपार्जन करने वाले उपार्जन केन्द्रों में भी समितियों द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र क्रय कर रखे जावें** । आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे । किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे ।

7.6. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

7.7. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।

7.8. प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ–साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।

7.9. **खरीदी केन्द्रों में धान की सुव्यवस्थित खरीदी एवं सुरक्षित रख–रखाव हेतु सक्षम समितियों के द्वारा धान उपार्जन से प्राप्त कमीशन राशि से चबूतरा निर्माण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं । इसके अलावा समितियों में आवश्यकतानुसार पेयजल व प्रकाश की व्यवस्था भी की जावे । छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के द्वारा भी उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता अनुसार चबूतरा निर्माण की कार्यवाही की जा रही है, जिसे त्वरित गति से पूर्ण कराया जाये ।**

8. <u>उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण</u> –

8.1. खरीफ वर्ष 2010–11 की भांति खरीफ वर्ष 2011–12 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराई जावे –

8.1.1. विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एवं यदि किसी भी उपकरण में त्रुटि हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इंस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त कर लिया जाए । आपके जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को 28 अक्टूबर, 2011 तक प्रस्तुत की जाए । यह कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित उपार्जन केन्द्रों में इंस्टाल किए गए कम्प्यूटर में वर्ष

2011–12 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु आवश्यक निर्देश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जायेंगे ।

8.1.2. धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को चेक प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बना रहे ।

8.1.3. कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।

8.1.4. कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्ष की भांति मेनुअल धान खरीदी का प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाए । प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी । विगत वर्ष के निर्देशानुसार मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी । मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा । किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 10 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

8.1.5. मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व सें करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके ।

8.1.6. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सहकारी समिति द्वारा एवं इनका प्रशिक्षण कार्यकम मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.1.7. आपके जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त किसानों के पंजीकरण की कार्यवाही पटवारी एवं समिति प्रबंधकों के माध्यम से 1 नवंबर, 2011 के पूर्व पूर्ण करा ली जावे । यह समस्त जानकारी दिनांक 3 नवंबर, 2011 को एन.आई.सी. के जिला सूचना केन्द्र के माध्यम से राज्य स्तर पर भेजी जानी है, अतः प्रत्येक समिति की जानकारी की सी.डी. दिनांक 2 नवंबर, 2011 तक जिला स्तर पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

8.1.8. धान उपार्जन अवधि के दौरान जानकारी के आदान प्रदान हेतु मार्कफेड द्वारा नियुक्त मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड मुख्यालय से डेटा एन.आई.सी. के माध्यम से इंटरनेट पर दर्ज किया जाएगा । इसी प्रकार एन.आई.सी. के सर्वर से इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त कर धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर में भी पहुंचायेंगे । अतः आप अपने जिले में ऐसे मोटर साईकल रनर्स की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं उपार्जन केन्द्रों के संलग्नीकरण की कार्यवाही मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें ।

8.1.9. विकासखण्ड मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समय रहते पूर्ण कर ली जावे ।

8.1.10. खरीफ वर्ष 2011–12 के दौरान मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । धान के संग्रहण हेतु मार्कफेड द्वारा चिन्हांकित स्थलों में कम्प्यूटर के संचालन हेतु कक्ष निर्माण तथा व्ही.सेट की स्थापना हेतु पक्के चबूतरों के निर्माण संबंधी कार्य शीघ्र संपादित कर लिया जावे । **इस वर्ष प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्रों में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।**

8.1.11. किसानों को धान की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर

द्वारा तैयार किए गए चेक के माध्यम से तत्काल किया जावेगा। इस हेतु आवश्यक चेकरोल प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में माह 1 नवंबर, 2011 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

8.1.12. **आपके जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे ।** कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजशेन से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

8.1.13. धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2011–12 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जा रहा है । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की गई समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

8.1.14. **धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन आपके जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में दिनांक 5 नवंबर, 2011 से प्रारंभ होकर दिनांक 11 नवंबर, 2011 तक चलेगा । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे ।** प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे उनमें धान उपार्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 1 नवंबर, 2011 के पूर्व पूर्ण हो जाए, और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।

8.1.15. **धान उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कलेक्टर द्वारा जिले में समितिवार प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन के आधार पर उपार्जित की जाने वाली मात्रा का निर्धारण कर इसकी प्रविष्टि कम्प्यूटर साफ्टवेयर में दर्ज करायी जावे ताकि निर्धारित मापदण्ड से अधिक विक्रय की प्रविष्टि कम्प्यूटर द्वारा स्वीकृत न की जा सके । यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से 1 नवंबर, 2011 तक पूर्ण करा ली जावे ।**

8.1.16. बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिलों में हाट बाजार में धान की अधिकतम एक क्विंटल की सीमा तक चिल्हर खरीदी की जा सकती है । इस संबंध में पृथक से पंजी संधारित की जावे तथा उपार्जन की प्रविष्टि विक्रेता का नाम, पता, विक्रय की गई धान की मात्रा एवं उसका भुगतान कम्प्यूटर में दर्ज कराया जावे ।

9. **उपार्जन के अन्य बिन्दुओं का प्रशिक्षण –**

9.1. धान एवं मक्का खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक है कि निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का की खरीदी तथा विभाग द्वारा धान खरीदी कार्य हेतु की गई कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिया जावे । अतः प्रत्येक जिले में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से चर्चा कर 31 अक्टूबर, 2011 तक आयोजित कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जावे ।

9.2. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहकारी समितियों से दो व्यक्तियों अर्थात समिति के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी एवं समिति प्रबंधक, राजस्व विभाग के निरीक्षकों एवं पटवारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित गुणवत्ता के धान की खरीदी एवं संबंधित अभिलेखों के समुचित रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण दिया जावे ।

10. **उपार्जन की प्रकिया –**

10.1. खरीफ वर्ष 2010–11 की भांति खरीफ वर्ष 2011–12 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का विक्रय किया जा सकेगा । इस हेतु संबंधित गांव को उस समिति के धान उपार्जन केन्द्र के साथ साफ्टवेयर में जोड़ा जाना आवश्यक होगा जिसमें उन्हें धान विक्रय की अनुमति दी जानी

है । अतः आपके जिले के जिन गांवों को निकटस्थ उपार्जन केन्द्रों से जोड़ा जाना है, इसकी कार्यवाही दिनांक 1 नवंबर, 2011 के पूर्व पूर्ण कर ली जाए तथा संबंधित ग्रामों में इसका प्रचार–प्रसार कर दिया जाये ।

10.2. प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों की जानकारी साफ्टवेयर में पहले से ही दर्ज होगी, जिसके आधार पर धान खरीदी का कार्य किया जावेगा । किन्तु यदि किसी का नाम किसी कारणवश साफ्टवेयर में जुड़ नहीं पाया हो तो ऐसे किसान अथवा खातेदार का नाम उसकी ऋण पुस्तिका के आधार पर साफ्टवेयर में जोड़ते हुए उससे धान का क्रय किया जावेगा ।

10.3. धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा ।

10.4. अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वंय का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।

10.5. **प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज, बीज निगम द्वारा उपार्जित करने से पूर्व बीज प्रमाणीकरण संस्था से शुद्धता एवं अंकुरण की जांच करायी जाती है । उक्त जांच में जो बीज फेल हो जाते हैं, उन्हें औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने का निर्णय राज्य शासन ने इस वर्ष लिया है। चूँकि परीक्षण का कार्य 31 जनवरी, 2012 तक पूर्ण नहीं हो पाता है, अतः ऐसे धान बीज का उपार्जन समर्थन मूल्य पर बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर 31 मार्च, 2012 तक किया जा सकता है । इसके विस्तृत निर्देश पृथक से भी जारी किये जायेंगे ।**

10.6. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

10.7. लिकिंग योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2010–11 की भांति खरीफ वर्ष 2011–12 में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

10.8. **जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।**

11. <u>गुणवत्ता</u> –

11.1. उपार्जन एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मात्र एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय किया जावेगा, जिसके स्पेसिफिकेशन की प्रति संलग्न है ।

11.2. एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का का क्रय सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं समिति स्तर पर निम्न समितियों का गठन किया जावे –

11.2.1. प्रदेश स्तर से धान एवं मक्का की गुणवत्ता, भण्डारण, परिवहन आदि की जांच एवं व्यवस्था हेतु भारतीय खाद्य निगम एवं विपणन संघ के अधिकारियों की संयुक्त टीमें गठित की जावे ताकि गुणवत्ता आदि को लेकर भारतीय खाद्य निगम एवं विपणन संघ के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो । इस संबंध में प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा तत्काल टीमें गठित कर विभाग को अवगत कराया जावे ।

11.2.2. जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा राजस्व, सहकारिता, भारतीय खाद्य

निगम, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की टीमें गठित की जावे, जिन्हें कलेक्टर द्वारा संग्रहण केन्द्र आबंटित कर सतत निरीक्षण का कार्य सौंपा जावे । यह निरीक्षण दल धान एवं मक्का की गुणवत्ता, भण्डारण, परिवहन, बारदानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, कम्प्यूटरीकरण का संचालन, किसानों को सुचारू भुगतान आदि पर सतत निगाह रखेंगे और कलेक्टर को अपना नियमित प्रतिवेदन देंगे ।

11.2.3. सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं वास्तविक किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

11.2.4. उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का वास्तविक किसानों से ही क्रय किया जाए । समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज आकलन के आधार पर ही धान एवं मक्का उपार्जन का कार्य किया जावे ।

11.2.5. जिला एवं सहकारी समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से 5 नवंबर, 2011 तक उपलब्ध कराया जावे ।

12. <u>भुगतान व्यवस्था</u> –

12.1. किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र पर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए गए चेक द्वारा तत्काल किया

जावेगा ।

12.2. धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः उनकी साख सीमा गत वर्ष की तरह पांच लाख रूपए निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

12.3. विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके ।

12.4. जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

12.5. कृषकों को धान के त्वरित भुगतान हेतु बैंकों में आवश्यक राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने हेतु एक समिति में उपार्जित धान के भुगतान हेतु एक से अधिक बैंकों को संबंद्ध किया जावे ।

12.6. किसानों को उपज का भुगतान बैंकों के माध्यम से मिलने में कठिनाई ना हो इसके लिए बैंकों से उनकी शाखाओं की केश लिमिट कम से कम 10 से 20 लाख रूपए रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

12.7. धान उपार्जन का समस्त भुगतान कास चेक के माध्यम से ही किया जावेगा । केवल बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिले में एक क्विंटल तक की चिल्हर धान खरीदी का भुगतान नगद रूप में की जा सकेगी । लेकिन इससे अधिक धान खरीदी का समस्त भुगतान कास चेक से ही किया जावे ।

12.8. समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मक्का हेतु किसानों को एक क्विंटल तक भुगतान नगद रूप में तथा इससे अधिक मात्रा की राशि का भुगतान कास चेक से किया जावे ।

12.9. सहकारी बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले

कृषकों की ऋण–पुस्तिकाएं किसी भी परिस्थिति में संबंधित बैंक द्वारा अपने पास नहीं रखी जावेंगी ।

12.10. धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं प्रशासनिक व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा ।

13. <u>भण्डारण व्यवस्था</u> –

13.1. धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन, आवश्यक डनेज मटेरियल एवं कैप कव्हर्स आदि की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जावेगा । धान को खुले में कैप कव्हर में भण्डारित करने के लिए विगत खरीफ विपणन वर्ष में क्रय किए गए कैप कव्हर्स, सीमेंट ब्लॉक, चटाई, पॉलीथीन आदि का (जो अच्छी हालत में हो) उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डनेज सामग्री एवं कैप कव्हर मार्कफेड द्वारा समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।

13.2. **खरीफ वर्ष 2011–12 में प्रारंभ किये जाने वाले नये धान संग्रहण केन्द्रों में धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जावे ।**

13.3. मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

13.4. **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग/भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अनुमानित भण्डारण की कार्ययोजना का प्रपत्र परिशिष्ट–3 पर संलग्न है ।**

13.5. धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

14. परिवहन व्यवस्था –

14.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन हेतु कलेक्टर द्वारा निविदा आमंत्रित की जावे । इस हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावे जिसमें जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं व भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक सम्मिलित होंगे। धान के परिवहन हेतु यदि दरें पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक तक आती है तो परिवहन दरों का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया जावे । यदि परिवहन दरें विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसका अनुमोदन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

14.2. **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में धान व चांवल के परिवहन हेतु एक ही दर निर्धारित की जावे । यह दर जिला कलेक्टर द्वारा खुली निविदा द्वारा तय किया जावे ।**

14.3. परिवहन हेतु निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जावे ताकि धान के परिवहन हेतु पर्याप्त वाहन उपलब्ध हो सके तथा बोगस निविदाकर्ताओं को प्रतिबंधित किया जा सके ।

14.4. धान के परिवहन के दौरान गुणवत्ता से संबंधित अनावश्यक विवाद को रोकने हेतु सहकारी समितियों को उपार्जन केन्द्र से लेकर भण्डारण केन्द्र तक धान के परिवहन का संपूर्ण कार्य सौंपा जावे ।

14.5. धान के परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है ।

14.6. प्रयास यह होना चाहिये कि धान उपार्जन केन्द्रों से अधिक से अधिक धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । किंतु यदि धान की आवक काफी तेजी से हो रही हो व उपार्जन केन्द्र चोक हो रहे हों तभी धान को निकटस्थ संग्रहण केन्द्र में परिवहन कराया जाये ।

14.7. धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम

वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा ।

14.8. **समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान कुछ व्यक्तियों के द्वारा पड़ोसी राज्यों से धान लाकर खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका बनी रहती है । अतः 1 नवंबर, 2011 से 30 अप्रैल 2012 तक अन्य राज्यों से धान की आवक केवल संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति से ही हो सकेगी । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें ।**

15. **हानि की प्रतिपूर्ति एवं समितियों को कमीशन/प्रासंगिक व्यय** –

15.1. खरीफ वर्ष 2011–12 में धान एवं मक्का के उपार्जन कार्य हेतु नियुक्त एजेंसी को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर देय प्रासंगिक व्ययों के उपरांत भी यदि हानि होती है तो हानि की प्रतिपूर्ति तत्संबंध में राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जावेगी ।

15.2. सहकारी समितियों को धान उपार्जन कार्य हेतु निम्नानुसार कमीशन एवं अन्य व्यय देय होंगे –

15.2.1. उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड अथवा मिलर्स को प्रदाय धान हेतु प्रासंगिक व्यय की राशि 4.00 रूपए प्रति क्विंटल तथा प्रशासनिक व्यय के रूप में राशि रूपए 5.00 प्रति क्विंटल के मान से देय होगी । समितियों को धान उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन भी देय होगा।

15.2.2. धान के समर्थन मूल्य की 0.4 प्रतिशत राशि बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मार्कफेड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को देय होगी ।

15.2.3. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।

16. **कस्टम मिलिंग** –

16.1. खरीफ विपणन मौसम 2007–08 से धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त

कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । आपके जिले में संचालित राईस मिलों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाना है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

16.2. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

17. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

17.1. धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

17.2. प्रदेश स्तर पर धान उपार्जन हेतु नियंत्रण कक्ष मार्कफेड कार्यालय में तथा मक्का उपार्जन हेतु नियंत्रण कक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के कार्यालय में स्थापित किया जावे । जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा । जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में पदस्थ कर्मचारियों तथा दूरभाष नंबरों की जानकारी राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को शीघ्र उपलब्ध कराई जावे । इसके साथ ही धान एवं मक्का के उपार्जन से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी नियमित रूप से विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जावे।

17.3. उपार्जित धान के भुगतान हेतु आवश्यक राशि, बारदानें एवं परिवहन आदि

की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उपार्जन केन्द्र अथवा एक से अधिक उपार्जन केन्द्रों हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्ति किया जावे, जो उक्त समस्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सूचना संबंधितों को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

17.4. धान उपार्जन, संग्रहण एवं इसके निराकरण के प्रत्येक स्तर पर संधारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों के प्रारूप में एकरूपता बनाने हेतु मार्कफेड द्वारा इनका आवश्यकतानुसार संख्या में मुद्रण कराकर दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 तक धान उपार्जन केन्द्र, धान संग्रहण केन्द्र एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराया जावे ।

17.5. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आपके द्वारा मुझसे, आयुक्त सह संचालक खाद्य अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

18. <u>सुरक्षा व्यवस्था</u> –

धान उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

19. <u>बीमा</u> –

19.1. विभिन्न कारणों से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।

19.2. यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

19.3. धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए समय–सीमा में विभाग को अवगत करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.कमांक एफ 4–7/खाद्य/2011/29 /3947 रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

<u>प्रतिलिपि</u> –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीजी, रायपुर ।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
6. समस्त संबंधित जिला प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, रायपुर को कंडिका 18 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर

कंडिका 17.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।

11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर कंडिका 12.2 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
13. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
15. प्रबंध संचालक, कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर ।
16. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर ।
18. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
19. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर ।
20. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
21. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, रायपुर ।
22. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर ।
23. नियंत्रक, नाप तौल कार्यालय, रायपुर को बिन्दु क्रमांक 7.3 के संदर्भ में परिपालन हेतु ।
24. संचालक, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
25. राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. रायपुर । कृपया इसे विभागीय वेबसाइट में जारी करने का कष्ट करें ।
26. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर ।
27. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
28. समस्त जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. छत्तीसगढ़ ।
29. समस्त जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-एक

खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में धान उपार्जन एवं निराकरण की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा मे.टन में)

क्र.	जिले का नाम	उपार्जन केंद्र की संख्या	संग्रहण केंद्र की संख्या	उपार्जन अनुमान	समितियों से मिलर द्वारा सीधे उठाव	धान संग्रहण केन्द्रों में धान भंडारण
1	2	3	4	5	6	7
1	रायपुर	310	10	1105000	545000	560000
2	महासमुंद	115	5	580000	324000	256000
3	धमतरी	80	5	400000	217640	182360
4	दुर्ग	256	8	883000	399600	483400
5	राजनांदगांव	109	6	400000	162000	238000
6	कवर्धा	73	1	110000	34560	75440
7	बिलासपुर	203	8	400000	270000	130000
8	कोरबा	36	1	80000	80000	0
9	जांजगीर	199	6	660000	324000	336000
10	रायगढ़	119	4	400000	324000	76000
11	जशपुर	22	1	30000	30000	0
12	सरगुजा	90	2	145000	108000	37000
13	कोरिया	18	0	30000	30000	0
14	कांकेर	111	3	130000	64800	65200
15	बस्तर	106	2	120000	75600	44400
16	दंतेवाडा	36	1	27000	10800	16200
	कुल योग	**1883**	**63**	**5500000**	**3000000**	**2500000**

नोट :– जिला कलेक्टर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में धान समितियों से सीधे मिलर्स द्वारा उठाया जाये । ऐसा समय पर नहीं हो पाने पर ही धान को संग्रहण केन्द्रों में परिवहन कराया जाये ।

परिशिष्ट - दो

No.8-4/2011-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan. New Delhi.
Dated: 8th August. 2011.

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of .... (All State Governments/UT Administrations)

Subject: - Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for the Kharif Marketing Season 2011-2012.

Sir,

I am directed to forward herewith the Uniform Specifications of paddy. rice and coarse grains for procurement for the Central Pool during the Kharif Marketing Season (KMS) 2011-12.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2011-12 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.

Encl.: As Above

JD/OSD
P/ examine
22/8

पत्र क्र. ......267......
सं.स./खाद्य/2011
दिनांक ......22.8.......2011

Yours faithfully.

8/8/2011

(B.C. Joshi)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23070474

.....Contd/-

Uniform speci.

Copy to:-

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI). New Delhi.
2. Executive Director (Commercial), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC), FCI HQ, New Delhi.
4. General Manager (Marketing & Procurement), FCI HQ, New Delhi.
5. All Executive Director (Zones), FCI.
6. Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agri. & Coop., Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP)/JS (Stg.)/ JS (BP&PD)JS (WDRA).
9. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&R)/DC (S&R).
10. All QCC/IGMRI Offices.
11. US (BP-I)/US (BP-II)/US (Py. I, II, III, IV)
12. DD (S)/ DD (QC)/AD (CGAL)/AD (S)/AD (QC-I)/AD (QC-II)/AD (QC-III)
13. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

5/8/2011
(Dr. S.C. Bansal)
Deputy Director (S&R)
Tele # 23383915

Uniform speci.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY (MARKETING SEASON 2011-2012)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	4.0
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	7.0
5.	Moisture content	17.0

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996. IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos. 2813 -1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(MARKETING SEASON 2011-2012)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays.* It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to PFA standards.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

परिशिष्ट - तीन

खरीफ विपणन वर्ष 2011–2012 में उपार्जित धान के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से प्रस्तावित धान स्थानांतरण कार्यक्रम

(मात्रा मे. टन में)

क्रं.	धान भेजने वाले जिले का नाम	जिस क्षेत्र से धान भेजा जाना है	धान प्राप्त करने वाले जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम	स्थानांतरण हेतु धान की अनुमानित मात्रा
1	2	3	4	5	6
1	दुर्ग	बीजाभाठा	बिलासपुर	बिल्हा	30000
			रायपुर	तिल्दा	40000
		जगतरा (गुरूर)	धमतरी	चिटौद	70000
	योग				**140000**
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव जिले के जिन खरीदी केन्द्रों की दूरी चिटौद से 100 कि.मी. के अंदर है (कलेक्टर राजनांदगांव निर्धारित करेंगे)	धमतरी	चिटौद	30000
	योग				**30000**
3	महासमुंद	सरायपाली, बसना	रायगढ़	हरदी	50000
		पिथौरा	रायपुर	लखौली	50000
	योग				**100000**
4	कवर्धा	कवर्धा	बिलासपुर	भरनीभाठा	30000
			बिलासपुर	मुंगेली	10000
	योग				**40000**
5	जांजगीर	सक्ती	कोरबा	डोंगरीभाठा	30000
		अकलतरा	बिलासपुर	मस्तूरी (नया केन्द्र)	50000
	योग				**80000**
6	**रायगढ़**	धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा	जशपुर	पत्थलगांव	**30000**
	महायोग				**420000**